


कार्यालय नज़ारत अनभाग, जिला जजी, लखीमपुर-खीरी।

संख्या ४ / सी०एन० / वाहन नीलामी / 2015 / दिनांक ०६.०२.२०१६

वाहन नीलामी हेतु विज्ञप्ति

वाहन क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, लखीमपुर-खीरी की निष्प्रयोज्य घोषित सरकारी वाहन १-एम्बेसडर कार सं०- यू०पी० ३१ एफ / १५०० मेक माडल मार्च २००३, २-एम्बेसडर कार सं०- यू०पी० ३१ डी / ७२११ मेक माडल ०५ सन् २००१ की सार्वजनिक नीलामी दिनांक २५.०२.२०१६ को सायंकाल ४.०० बजे जनपद न्यायालय, लखीमपुर-खीरी के सभाकक्ष में जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी की अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

उपरोक्त प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर धनराशि मु० ५०००/- रुपया नकद धनराशि के रूप में बोली बोलने से पहले नज़ारत अनुभाग, जजी लखीमपुर-खीरी में जमा करनी होगी। सर्वाधिक बोलीदाता को कुल बोली का १/४ धनराशि उसी समझ जमा करनी होगी तथा शेष ३/४ धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात सात दिन के अन्दर सम्बंधित वाहन का वास्तविक रूप में कब्जा लेने के पूर्व जमा करनी होगी। शेष ३/४ धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न करने पर तथा वाहन का कब्जा न लेने पर जमा की गयी समस्त धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर, जमा कर लिया जायेगा। न्यूनतम बोली न आने पर अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणवश नीलामी स्थगित करने अथवा अन्य परिस्थितियों में निरस्त करने का अधिकार नीलाम स्वीकृतकर्ता अधिकारी को होगा। नीलामी समिति को किसी एक अथवा समस्त बोलियों को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा स्वीकृत की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी जब समिति के अध्यक्ष, जिला अधिकारी, लखीमपुर-खीरी द्वारा बोली अनुमोदित / स्वीकृत कर दी जायेगी। अन्तिम स्वीकृति के पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। नीलामी के पूर्व उक्त वाहनों का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में जनपद न्यायालय परिसर, लखीमपुर-खीरी में किया जा सकता है तथा वाहन को जहाँ जैसा है वैसी स्थिति में नीलाम कर कब्जा दिया जायेगा। क्रेता को नीलामी धनराशि के अतिरिक्त जो अनुमन्य है, यथा वैट पंजीयन स्थानान्तरण शुल्क आदि जमा करना / स्वयं वहन करना होगा। विज्ञप्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिशियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर उपलब्ध है।


प्रमार्ग अधिकारी नज़ारत,

जिला जजी, खीरी।

०६.०२.२०१६